

प्राधिकार पत्र

मैं रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री फूल सिंह, मकान नं० 455 बी-2, बिटना रोड़, शिव कालोनी, पिंजौर में रहता हूँ । मेरे नाम से गाँव गरीड़ा, तहसील कालका, जिला पंचकुला में खसरा नं० 617/325/460/7 के तहत 2 बीघे 5 बिस्वे (0.1897 है०) भूमि है जो कि धारा 4 व 5 में बन्द है । मैं उक्त भूमि में अपने रहने के लिए घर बनाना चाहता हूँ । उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कमर्शियल कार्य नहीं किया जाएगा ।

यह भूमि धारा 4 व 5 में बन्द है जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है । इस भूमि का मालिक होने के कारण मैं इस कार्य के लिए स्वयं ही अधिकृत हूँ और वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन करने हेतु मुझे किसी अन्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

दिनांक :
स्थान :

Ravinder Singh

(रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री फूल सिंह)
मकान नं० 455 बी-2, बिटना रोड़,
शिव कालोनी, पिंजौर ।